न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/531

रामप्यारी पुत्री श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री मदनलाल जी जाति खाती निवासी ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. टीकम चन्द आत्मज बक्शू जी ।
2. बालमुकन्द आत्मज श्री बक्शू जी ।
3. जमना लाल आत्मज श्री बक्शू जी जाति खाती निवासीगण ग्राम काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मोहनी बाई पुत्री श्री बक्शू जी जाति खाती निवासी ग्राम मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. किशोर बाई पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति धाकड निवासी ग्राम काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. मंजीत सिंह आत्मज दिलावर सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम काला तालाब उर्फ रंगतलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में हाल खसरा

नम्बर 135 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 405/602 रकबा 2.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 423/632 रकबा 2.03 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि बक्शू जी को अपने पिता से प्राप्त हुई है । वादिनी के नाना का स्वर्गवास हो गया है जिनकी सम्पत्ति के एक मात्र मालिक, वारिस व काबिज वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 से 4 हैं जो अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं ।

3. अतः दावा वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादिनी को अपने नाना बक्शू जी व धन्ना जी की वादग्रस्त आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर विभाजन में प्राप्त आराजी पर पृथक से कब्जा दिलवाया जावे तथा अलग से खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिनी को 1/5 हिस्से से बेदखल नहीं करे ।

4. प्रतिवादी कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादिनी ने वादपत्र में यह अंकित किया है कि वादिनी के नाना बक्शू जी स्वर्गवास हो गया हे उनकी सम्पत्ति के एक मात्र मालिक, वारिस व काबिज वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 हैं जो स्वर्गवास के बाद अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । वादिनी वादग्रस्त आराजी की मालिक नहीं है और न ही काबिज काश्त है । वादिनी मृतक बक्शूजी की वारिस नहीं है । वादिनी दीवानी न्यायालय से बक्शू जी की वारिस होने की घोषणा कराये बिना न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं है । माननीय न्यायालय को वारिस घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 एवं संलग्न तृतीय अनुसूची के अनुसार न्यायालय को वारिस घोषित करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । इस कारण से वादिनी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है । वादिनी वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार नहीं है उसका वादग्रस्त आराजी में कोई हक एवं अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाना के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । अपीलान्ट बक्शू जी की पुत्री शांति बाई की पुत्री है जो बक्शू जी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है जिसका बक्शू जी की सम्पत्ति में अधिकार निहित है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के मामा रेस्पोडेन्ट कम 2 ने अपीलान्ट को मृतक शांति बाई की पुत्री होना जवाबदावे में स्वीकार किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी प्रकार से यह साबित नहीं किया है कि अपीलान्ट बक्शू जी की पुत्री शांति बाई की पुत्री नहीं हो । प्रथमदृष्टया अपीलान्ट प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक बक्शू जी की पुत्री होना साबित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये बिना ही गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वादिनी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब नियुक्त कर रखे थे जिनके द्वारा आश्वासन दे दखा था कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यक होगा मैं आपको सूचना दे दूंगा । अपीलान्ट को उनके वकील साहब द्वारा दिनांक 03.08.2018 को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सूचना दी गई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अपीलान्ट ने यह कथन करते हुए पेश किया था कि अपीलान्ट बक्शू की पुत्री शांतिबाई की पुत्री है और बक्शू जी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिनी अपीलान्ट का दावा खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादिनी के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसे वादिनी अपने साक्ष्य से साबित करती तथा प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य के उपरान्त ही इसका निर्णय पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था और यह कथन किया था कि वादिनी बक्शू जी की पुत्री शांतिबाई की पुत्री है इस नाते वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा की अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया था और यह कथन किया था कि वादिनी स्वयं को बक्शूजी की वारिस घोषित करवाए बिना राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादिनी का वाद खारिज कर दिया । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर ही दावा खारिज किया जा सकता है । वादिनी ने स्वयं को बक्शू जी का उत्तराधिकारी बताते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर इस दावे को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर खारिज नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी पर वादिनी के कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है अथवा नहीं यह साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकता है न कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर ।

13. कृषि भूमि पर हक घोषणा के दावे का राजस्व न्यायालय को ही श्रवणाधिकार है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करने में त्रुटि की है । इस प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य के आधार पर ही विधिक निर्णय पारित किया जा सकता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14-8-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा